













## जालसाजी रोकने के लिए IRDA की पहल, यूनिक ID से रुकेगा बीमा फ्रॉड़

**नई दिल्ली:** इंश्योरेस कंपनियों के नाम पर टीमी से ग्राहकों को बचाने के लिए कंपनियां तैयारी कर रही हैं। इसके लिए एक यूनिक हेडर काली पहचान या आईडीटी अलॉट की जाएगी। IRDA जालसाजी रोकने के लिए कमर कस रही है। IRDA की बीमा के नाम पर फेंक मैसेज और कॉल पर लापान की तैयारी है। अब Spam मैसेज या कॉल्स की पहचान करना आसान होगा। इंश्योरेस कंपनियों के लिए यूनिक ID से ग्राहकों से संपर्क करेंगी ग्राहकों को फॉड से बचाने के लिए IRDAI ये फल कर रही है। इस फल के कहत कंपनियों का टेलीकॉम अपरिटर से यूनिक ID लेना होगा। इसके लिए टेलीकॉम रजिस्ट्रेशन 5 अप्रैल तक पूरा करने के लिए दिया गया है। रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर मैसेज या कॉल में दिक्कत होगी। बता दें कि अनियन्त्रित टीमी करने वाले नए-ए यौवर अपनाकर लोगों को अपन शिकायत बना रहे हैं। बदामों ने टीमी का नया तरीका ढूँढ़ लिया है। अब लोगों की बीमा पालिंसी पर बोनस का आंसा देकर शिकायत बना रहे हैं। पालिंसी पर लाखों का बोनस ऑफर बटाकर वे बोनस लेने के लिए उसे टैक्स के रूप में पैसे दें रहे हैं।

## ट्राई ने कहा: नियम नहीं माने तो एक अप्रैल से OTP नहीं मेज सकेंगे बैंक



**बिजनेस डेस्क:** दूरसंचार नियामक ट्राई ने थोक वाणिज्यिक मैसेज के मानकों का पालन नहीं करने वाली 40 कंपनियों की सूची जारी की है। इसमें एसीआई, एचडीएफसी बैंक और अंडीसीआईआई और शामिल हैं। ट्राई ने कहा कार्बन-बार वायद दिलवात के बावजूद ये कंपनियां थोक वाली संस्थाओं का पालन नहीं कर रहीं। अग्र 31 मार्च, 2021 तक सभी कंपनियां दूरसंचार नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करती हैं, तो 1 अप्रैल से उन्हें ग्राहकों के साथ संपर्क में मुश्किल आ सकती है। ऐसे वैकं या अन्य कंपनियां ग्राहकों तक आटोंगी सहित अच्छी जरूरी सदस्य नहीं भेज पाएंगी। बिना मानक का पालन नहीं किया जाया। इस बायत पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। ट्राई ने सभी संस्थाओं की वैद्यता जांचने के लिए कंपनियों को स्कॉरिंग सिस्टम अपनाने का आदेश दिया है।

## 1 अप्रैल से पैकेटबंद पानी बेचने वाली कंपनियों के लिए बीआईएस प्रमाणन होगा अनिवार्य

**नई दिल्ली:** भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) ने पैकेटबंद पानी और मिनरल वॉटर विनियोगिता के लिए भारतीय मानक व्याप्रो (बीआईएस) का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों और सभी सारित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को भेजे जाएंगे। एफएसएसआई ने यह निर्देश दिया है। यह निर्देश का खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2008 के तहत सभी खाद्य कारोबार पर्यावरण कंपनियों (एफबीओ) के लिए किसी खाद्य कारोबार को शुरू करने से पहले लाइसेंस/जीवन्यकरण हासिल करना अनिवार्य होता। नियमक ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रतिबंध एवं बिक्री पर अंकुर) नियम, 2011 तक कोई भी व्यक्ति बीआईएस प्रमाणन दिया है के बाद ही पैकेटबंद पेयजल या मिनरल वॉटर की विक्री कर सकता है।





पुणे वनडे

## निर्णयिक मुकाबले में भारत को चाहिए शुरुआती सफलता



पुणे.

भारत और इंग्लैंड की फ्रिकेट टीमें गविवार को बहां महाराष्ट्र क्रिकेट संघ मैदान पर होने वाले तीसरे और अंतिम बनडे मुकाबले में एक-दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरी और इस मैच को जीतने वाली टीम सीरीज भी अपने नाम कर लेगी। भारत ने पहले बनडे 66 रन से जीतकर सीरीज में

1-0 की बढ़त बना ली थी। लेकिन इंग्लैंड ने शुक्रवार को दूसरे बनडे में जीतकर वापसी की और छठे फ्रिकेट से मैच जीतकर सीरीज में 1-1 की बदली बासिल कर ली। पहले मैच में जहां भारतीय गेंदबाजों ने दूसरे मैच में भारतीय गेंदबाजों की तरीकी से बदली बासिल कर ली। पहले मैच में जहां भारतीय गेंदबाजों ने दूसरे मैच में भारतीय गेंदबाजों की तरीकी से बदली बासिल कर ली। भारतीय तेज गेंदबाज एस प्रसिद्ध कृष्णा ने कहा है कि नई गेंद के साथ उन्हें गेंदबाजी में और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। कृष्णा ने पहले बनडे में चार और दूसरे बनडे में 58 रन देकर दो फ्रिकेट लिए।

&lt;/

